विचार बिन्दु

आतंक का जन्म असंतोष से होता है असमानता से इसे हवा मिलती है और यह अपनी आग में हज़ारों को लेकर जल मरता है।

–मुक्ता

ऐसा जवाबदेही कानून किस काम का?

देश में जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका हल कानून के माध्यम से करने का प्रयास किया जाता है। यह माना जाता है कि उस विषय पर कानून बन गया तो वह समस्या हल हो जाएगी। कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार, संसद में एवं राज्य सरकारें विधानसभाओं में विधेयक प्रस्तुत करती हैं और सदन में पारित होने के पश्चात ये कानून का रूप ले लेते हैं। यह एक सर्व ज्ञात तथ्य है कि जितने कानून भारत में हैं, उतने शायद ही किसी अन्य देश में होंगे। कई बार प्रधानमंत्री एवं अन्य प्रबुद्धजनों के द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया है कि कानूनों को कम किया जाए। इसी प्रक्रिया में, कई कानून समय-समय पर समाप्त भी किए गए हैं, क्योंकि उनकी उपादेयता बदलते समय के संदर्भ में समाप्त हो गई थी।

उल्लेखनीय है कि केंद्र एवं राज्य सरकार के कानूनों में एक समानता दिखाई देती है और वह है कानूनी भाषा की जटिलता ।जिस भाषा में और जिस शब्दावली में सभी कानून लिखे जाते हैं, वे जिस व्यक्ति के लिए बनते हैं, वह उन्हें समझने में कतई समर्थ नहीं होते हैं। यही कारण है कि इन कानूनों के कारण उत्पन्न विवाद न्यायालयों के विभिन्न स्तरों पर सालों चलते रहते हैं।

साधारण नागरिक, एक मूक दर्शक की तरह यह सब होते हुए देखते रहने के लिए बाध्य है। यही कारण है कि एक ही प्रकार के कानून के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के निर्णय अलग-अलग स्तरों पर होते हैं जो कई बार विरोधाभासी होते हैं।

मैंने राजकीय सेवा में सन 1974 में प्रवेश किया था, किंतु तब से अब तक 48 वर्षों में कानून बनाने वालों की भाषा में कोई बदलाव नहीं आया है। आप चाहे कोई कानून उठा कर देख लें, यहां तक कि सरकारी नियम और प्रक्रिया भी देख लें तो उसकी भाषा इतनी जटिल एवं शब्द इतने क्लिष्ट हैं कि उसका अर्थ समझना संभव नहीं है। भाषा हिंदी हो अथवा अंग्रेजी, जटिलता दोनों में समान रूप से दिखाई देती है। इस लेख में हम एक ऐसे कानून की बात करेंगे, जिसका उद्देश्य सरकारी तंत्र की जवाबदेही तय करना है। जवाबदेही कानून बनाने के लिए विभिन्न नागरिक संगठन कई वर्षों से प्रयासरत थे, विशेषकर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय एवं उनके साथी। 'सूचना का अधिकार' कानून बनने के बाद किसी भी निर्णय प्रक्रिया के पीछे क्या आधार रहा, उसे जानने का एक अवसर जनता को मिला है, किंतु विभिन्न समस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समय पर नहीं होने से वह अब भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। विलंब और परेशानी से बचने के लिए उसे कई बार 'सुविधा शुल्क', किसी न किसी नाम से देना पड़ता है। मेरा विचार है कि जब कानून नियम एवं प्रक्रिया स्पष्ट और सरल होगी तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना भी सरल होगा। इसी उद्देश्य से कानून बनाने की मांग करते रहे हैं। इससे पूर्व, राजकीय सेवाओं प्रदान करने का गारंटी कानून, सुनवाई का अधिकार कानून, राजस्थान सरकार ने पारित कर देश में एक प्रकार से पहल की थी। इन सभी कानूनों में कमी, पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित कर उन्हें दण्डित करने की थी। इस हेतु संगठनो द्वारा जवाबदेही कानून का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। अब सरकार ने प्रस्तावित कानून के प्रारूप को वेबसाइट पर डाल कर नागरिकों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी हैं। यह एक ऐसा अवसर है जब इस कानून की भाषा पर विचार किया जाए एवं यह भी देखा जाए कि इस कानून का लाभ वास्तव में जवाबदेही सुनिश्चित करने में कितना मिल पाएगा?

पहले तो हम इस कानून की भाषा एवं इसमें प्रयुक्त शब्दावली पर ही गौर करें तो पाएंगे कि यह आम जनता की भाषा से कहीं दूर है। उदाहरण के लिए इस कानून के कुछ अंश नीचे उद्धृत हैं:–

'शिकायत' से सेवा के परिदान में सदोष प्रत्याख्यान या अननुपालन के संबंध में जैसा विहित किया जाए, सरकार की नीति कार्यक्रम या योजना के अधीन सेवाएं प्रदान करने में विफल होने पर अनुतोष चाहने के लिए। आशयित हिताधिकारी या हिताधिकारियो द्वारा लोक प्राधिकारी के समक्ष किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है।

उपरोक्त पंक्तियाँ केवल शिकायत को परिभाषित करने के लिए हैं। पाठक इस बात से सहमत होंगे कि यह भाषा किसी भी साधारण व्यक्ति की समझ से परे है। इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है,जिसका अर्थ समझने के लिए डिक्शनरी देखनी पड़ेगी। अभी तक समझ में नहीं आया कि क्यों हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कानून नहीं बना सकते ताकि नागरिकों को अनावश्यक रूप से कोर्ट - कचहरी के चक्कर न लगाने पड़े। भाषा चाहे हिंदी हो अथवा अंग्रेजी, दोनों में ही, छोटे वाक्य और सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए सामान्य बोलचाल की एवं समझ में आने वाली भाषा में कानून बनाए जा सकते हैं। इसका एक प्रयोग, सरकार चाहे तो इस कानून के माध्यम से कर सकती है। सरकार यदि हिंदी को अधिक प्रचलन की भाषा बनाना चाहती है तो हिन्दी को राजभाषा विभाग के चंगुल से निकालना होगा और उसे सामान्य समझ में आने वाली भाषा के रूप में काम लेना होगा। यदि ऐसा किया गया तो न केवल इससे हिंदी अधिक प्रचलित होगी अपितु उसकी मान्यता भी बढ़ेगी। साथ ही, इस प्रकार की भाषा के माध्यम से, नागरिक, उसके लिए बनाए गए विभिन्न योजनाओं का उपयोग बिना किसी बिचौलियों की सहायता के कर पाएगा। इससे सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार समाप्त करने में भी सहायता मिलेगी।

अभी तक समझ में नहीं आया कि क्यों हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कानून नहीं बना सकते ताकि नागरिकों को अनावश्यक रूप से कोर्ट - कचहरी के चक्कर न लगाने पड़े। भाषा चाहे हिंदी हो अथवा अंग्रेजी, दोनों में ही, छोटे वाक्य और सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए सामान्य बोलचाल की एवं समझ में आने वाली भाषा में कानून बनाए जा सकते हैं।

जो प्रारूप स्वैच्छिक संगठनों ने सरकार को दिया था, उसे बिल्कुल ही बदल दिया गया है और इसमें जिम्मेदार अधिकारियों को दंड का प्रावधान नहीं है। यह स्पष्ट नहीं कि कितने समय में कौन सा काम किया जाएगा एवं जब यह काम नहीं होगा तो उसके लिए संबंधित अधिकारी को कितना दंड मिलेगा? दंड देने के लिए अधिकार किसके पास होगा, इसका उल्लेख नहीं है। जवाबदेही के अभाव का मुख्य कारण यह है कि किसी भी प्रकरण को लंबित रखकर या उसमें विभिन्न प्रकार की कमियां निकाल कर परेशान किया जा सकता है। एक ही प्रकार के प्रकरण में अलग-अलग तरह के निर्णय होते हैं। निर्णय इस पर निर्भर करता है कि आप किसी बिचौलिए अथवा एजेंट के माध्यम से गए हैं, किसी बड़े अधिकारी या जनप्रतिनिधि से सिफारिश करा के गए हैं या सीधे ही कार्यालय गए हैं। होना तो यह चाहिए कि चाहे सीधा जाए अथवा किसी के माध्यम से,उसके कार्य के निस्तारण की गति एवं गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। कानून में यह स्पष्ट होना आवश्यक है किसी भी विभाग में कार्य करने के लिए जिम्मेदारी किसकी होगी एवं किस प्रकार की प्रक्रिया होगी? यह स्पष्ट होगा तो कोई भी अधिकारी बिना काम को अटकाए, समय पर काम करने के लिए बाध्य हो जाएगा। साधारण नागरिक चाहे वह बहुत पढ़ा-लिखा न भी हो, इतना तो समझता ही है कि उसके हित में क्या है? जब उसे स्पष्ट होगा कि किसी भी विषय संबंधी उसका कार्य कराने हेतु क्या-क्या दस्तावेज लगाने हैं एवं एक बार आवश्यक दस्तावेज लगाने के बाद उसे दोबारा कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, तो फिर क्यों भला किसी व्यक्ति को रिश्वत देगा या अनावश्यक रूप से बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाएगा? ऐसा होगा, तभी हम कह पाएंगे कि वास्तव में राज्य में सुशासन स्थापित करने में सफल हो पाए हैं। साधारण नागरिक को बड़ी-बड़ी बातों से कोई मतलब नहीं है। उसे तो रोजमर्रा के छोटे-छोटे विषय बिजली, पानी का कनेक्शन, भूखंड पर भवन निर्माण की स्वीकृति, भूखंड का भूमि रूपांतरण, आवंटन, अपनी भूमि का उत्तराधिकारी के आधार पर बंटवारा, करना हो या भूमि का विक्रय पर नाम हस्तांतरण आदि से अधिक जुझना पड़ता है।

संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है तो फिर अलग-अलग लोगों से अलग-अलग व्यवहार क्यों? अभी हाल ही में पूरे देश में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। नागरिक को संविधान की मूल भावना के अनुसार, कानून के अंतर्गत समान रूप से न्याय प्राप्त करने का अधिकार तो मिले। यह तभी संभव है, जब हमारे कानून बहुत सरल एवं स्पष्ट होंगे। इसकी शुरुआत, इस जवाबदेही कानून से कर सकते हैं। जवाबदेही कानून को जटिल बनाने वालों की भी जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है। विधि प्रारूप कारों को भी इस विषय पर साधारण नागरिक की दृष्टि से विचार करना होगा और तब अपना प्रारूप बनाना होगा। ऐसा होने पर लोगों के सुझाव भी इस बारे में बहुत मिलेंगे तथा जब इस पर विधानसभा में चर्चा होगी, उस पर विधायक गण भी सरलता के साथ इस कानून के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा कर सकेंगे। हम यह मानकर चलते हैं कि कानून केवल विधि वेत्ता के लिए है। मेरी दृष्टि में। विधि रचनाकार तो केवल इसके माध्यम हैं, इसका असली प्रभाव तो साधारण जनता पर पड़ता है। हमें विधि विशेषज्ञों के बारे में अधिक चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है। अपितु बिना किसी पूर्वाग्रह के नागरिकों के हित में व्यवस्था बनाने हेतु कार्य करना होगा। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश ने भी इसी प्रकार की बात कही है कि न्यायालयों को, न्याय त्वरित न्याय प्रदान करने हेतु नागरिक के पास जाना होगा न कि नागरिकों को अनावश्यक रूप से न्यायालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया जाय। इस प्रकार की व्यवस्था का प्रारंभ तो हमें, कानून को सरल बनाने से ही करना होगा।

राज्य सरकार से यह आशा है कि वह प्रस्तावित जवाबदेही कानून का प्रारूप सरल भाषा में जारी करे ताकि सर्व साधारण, उसे समझ कर अपनी टिप्पणियां दे पाए। इसमें अधिकारियों पर तत्काल दंड का प्रावधान भी करना होगा और साथ ही, जिस व्यक्ति पर दंड देने की जिम्मेदारी है, उसकी भी जवाबदेही तय करनी होगी। यह भी हमें समझना होगा कि प्रत्येक स्तर की जवाबदेही केवल और केवल मात्र नागरिक के प्रति है। यही जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था। सभी कानून, संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करने हेतु ही बनाए जा रहे हैं। इससे अच्छा क्या होगा कि हम नागरिक के हित में प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही तय करने में सफल हो सकें?

यदि ऐसा नहीं किया गया तो, वर्तमान रूप में जो जवाबदेही कानून सामने आया है, उससे तो कोई आशा नहीं बनती है कि नागरिक को कोई न्याय मिलेगा एवं अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उन्हें दंड मिलेगा। जब तक कोई भी कानून दंत विहीन और नख विहीन होगा तो उसकी परवाह प्रशासनिक तंत्र करेगा, इसकी आशा करना व्यर्थ है।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

आहार में मुख्य पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी वांछनीय होते हैं क्या?

शरीर में वृद्धि अथवा परिवर्तन के लिए वांछित पोषण आवश्यक होता है। यह पोषण भोजन के द्वारा शरीर को प्रतिदिन प्राप्त होता है । चूंकि शरीर की वृद्धि में अनेक तत्व आवश्यक होते हैं अत: उन सभी तत्व की आहार से पूर्ती होना चाहिए।

शरीर की अवस्थाओं और शारीरिक श्रम के अनुसार पोषक तत्वों की मांग बढ़ती-घटती है। अत: शरीर आवश्यकता के अनरूप आहार में सभी पोषक तत्वों की प्रचुरता विध्यमान होनी आवश्यक है। पोषक तत्वों के मुख्य घटक ऊर्जा (शर्करा एवं वसा) के अतिरिक्त, वसा प्रोटीन, खनिज, विटामिन्स आते हैं। ये सभी पोषण के तत्व हैं। इनके अलावा कुछ और तत्व भी खोज लिए गए हैं जिनसे न तो पोषण मिलता है और न ही कोई ऊर्जा। वैज्ञानिकों ने ऐसे आहार जिनमे ऐसे तत्व मौजूद होते हैं उन्हें पोषण से परे खाद्य (फ़ूड बियॉन्ड नुट्रिशन) की संज्ञा दी है। आगे हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण खाद्य व् उनमे मौजूद तत्वों की व्याख्या करेंगे जिनसे आम आदमी अभी तक अनभिज्ञ बना हुआ है।

सर्व प्रथम हम लेते हैं :–

1. फाइबर अथवा रेशा :– खाद्य के फाइबर का पोषण में बड़ा योगदान है। कोई ऊर्जा नहीं देने पर भी फाइबर आमाशय और आँतों में अधपचे पदार्थ को ठोस या सीमेंट सदृश होने से रोकता है जिससे पाचन किण्वकों (एन्ज़ाइम्स) की भोजन पचाने में सक्रियता बढ़ती है और आहार सुगमता से पाचन तंत्र में आगे बढ़ता रहता है। फाइबर भी घुलनशील और अघुलनशील दो प्रकार के होते हैं। घुलनशील फाइबर बड़ी आंत में किण्वित (फरमेंट) होते हैं। वहां उपस्थित कुछ लाभकारी जीवाणुओं द्वारा ऐसे तत्व पैदा करते हैं जिनकी उपस्थित से हानिकारक जीवाणु मर जाते हैं और उत्पन्न हुए पदार्थों विशेष रूप से अम्लों से आहार का कैल्शियम घुलनशील होकर आंत से सुगमता से अवशोषित हो जाता है। यह कार्य बड़ी आंत अथवा कोलन में संपन्न होता है, अन्यथा बड़ी आंत में आहार के किसी मुख्य तत्व का पाचन नहीं होता और न ही वहां कोई किण्वक (एंजाइम) स्त्रावित होता है। इसलिए भोजन में फाइबर का भोजन में प्रचुरता से रहना परम आवश्यक है। जिसके लिए सभी अनाज, दालें आदि छिलके सहित ही खाना चाहिए। वनस्पति स्त्रोत से मिलने वाले फाइबर में इनुलिन, सीड गम, इसवगोल, बबूल का गोंद, तथा जीवाणुओं से उत्पन्न गोंद जैसे– ज़ेंथेन, गेलंन आदि।

2. फ़ायटो नूटीऐंट्स :– इस श्रेणी के तत्वों में कैरोटेनॉयड्स, फ्लवोनोइड्स, फ़ायटोस्टेरॉल्स, पॉलीफेनोलिक्स, फायटो एस्ट्रोजेन्स, ऑर्गनॉसल्फर और ग्लूकोसिनोलेट्स शामिल हैं। इनके खाद्य स्त्रोतों में गाजर, काशीफल, पपीता, नारंगी संतरा और हरी पत्तेवाली सब्जियां मुख्य हैं। पोषण की दृष्टि से ये अवयव इनर्ट अथवा निष्क्रिय होते हैं लेकिन ग्रीन चाय में मौजूद कटेचिन कैंसर इलाज में कीमोथेरेपी को सहायता देते हैं। फ्लवोनोइड्स में चोकोलेट, कोका,

प्रो. डॉ. वीर बहादुर सिंह

साइट्रस फल और बेरीज एंटीऑक्सीडेंट और मधुमेह रोधक का कार्य करते हैं। लिकोपिन लाल रंजक जो टमाटर और अनार, तरबूज आदि में रहता है शरीर की कोशिकाओं से हानिकारक विचरती सिंगल ऑक्सीजन को पकड़ कर बाहर कर देता है।

वसा से सम्बंधित ब्यूटिरिक अम्ल,; मोनो असंतृप्त ग्लीसेरीड ; कंजुगेटेड लिनोलिक अम्ल ; और ओमेगा वसीय अम्ल स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। गाय भैस का दूध अमूमन इन सब का अच्छा स्त्रोत है। दूध साधारणत: लेक्टोफेरिन ; व्हेय प्रोटीन ; कंजुगेटेड लिनोलीक एसिड ; ग्लीकोप्रोटीन्स ; बायोएक्टिव पेप्टाइड ; और ओलिगो सकारीड की उपस्तिथि से अनेक हेल्थ लाभ प्रदान करता है जिनमे हृदय सम्बन्धी व्याधि भी शामिल हैं।

3. फ़ायटोस्टरॉल और असंतृप्त वसीय अम्ल :– यह स्टेरोल टरपीन होने से आंत में कोलेस्ट्रॉल से अवशोषण में संघर्ष करते हैं, तथा कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करने में सहायक है। ओमेगा वसीय अम्ल (डी एच ए, व् ए अल ए) का अवसाद रोकने, एकाग्रता में कमी, अल्झाइमर और डेमेंशिया नामक बीमारिओं को रोकने में सहायक होते हैं और आँखों की रेटिना (पर्दा) के स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है।

वैसे अम्लों में मूफ़ा (एॅम यु एॅफ़ ए) और पूफ़ा (पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल) की उपस्तिथि शरीर की अनेक क्रियाओं में सहायक होते हैं। मोनो असंतृप्त के स्त्रोत जैतून का तेल, केनोला व् सरसों का तेल, और बहुअसंतृप्त अम्लों के स्त्रोत अखरोट, अलसी, मछली का तेल, सूरजमुखी तेल, कुसुम का तेल तथा कॉर्न का तेल इन ओमेगा वसीय अम्लों के अच्छे स्त्रोत हैं।

4. ग्लूकोसिनोलेट और ओर्गनो सल्फर :– ये तत्व वनस्पति यथा, सरसों प्रजाति की, फूलगोभी, पत्तागोभी, हरीगोभी (ब्रोकली), शलजम, मूली आदि में मिलते हैं। ये तत्व ताकतवर कैंसररोधी होते हैं। ऑर्गनॉसल्फुर, लहसुन, प्याज, स्कालिओं (हरा प्याज) में मौजूद होते हैं, ये शरीर के विषैले पदार्थों को निकाल रोगप्रतिरोधक क्षमता और हृदय को शक्ति प्रदान करते हैं। ये रक्त चाप, और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, जिससे हृदयघात होने की सम्भावना कम हो जाती है।

5. अन्य अवयव :– वैसे तो सूची लम्बी है लेकिन प्रोबिओटिक्स की बात बताना जरूरी है। प्रोबिओटिक्स लाभकारी जीवाणु होते हैं जिन्ह हम नित्य दही, छाछ, दूध के अन्य किण्वित उत्पाद यथा चीज़, माखन, लस्सी-छाछ सरीखे, कुछ अचार में भी किण्वन से लाभकारी जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। सिरका (विनेगार) ऐसा ही एक उत्पाद है जो गन्ना सेव जामुन आदि से किण्वन कर बनाया जाता हैं।

लैक्टिक अम्ल पैदा करने वाले जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस , लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस , एसिडोफिलस, बीफेडोबक्टेरियम आदि जीवाणु पाचन तंत्र की बड़ी आंत में पनप कर और वहां रहकर कमाल के फायदे पहुँचाते हैं।

उपरोक्त वर्णन को भलीभांति समझ कर पाठक अपने आहार के अवयवों का समुचित चयन करें। उपरोक्त वर्णित सूक्ष्मतम तत्वों की पूर्ती तभी संभव होगी जब हम आहार के अवयवों की भिन्नता को प्रतिदिन वरीयता से छांटकर आहार में सम्मिलित करेंगे।

खाद्य वस्तुएं चयन करते समय सात रंगों की सब्जियां और फल ही अशरीर अपने आहार में सम्मिलित करे प्रतिदिन बदल-बदल कर। जहाँ तक हो सके सब्जिओं और फलों को अच्छी प्रकार जल से साफ़ कर छिलके सहित ही खाने की प्राथमिकता रखें। ऐसा करने से आपका शरीर अनेक रोगों से बचा रहेगा।

प्रो. डॉ. वीर बहादुर सिंह,
पूर्व कुलपति एवं डेयरीविज्ञ
एमपीयूएटी उदयपुर

आधा सत्र बीत जाने के बाद भी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी

चाकसू, (निसं)। वर्ष 2022-23 के शैक्षिणक सत्र का आधा समय गुजर चुका है। कांग्रेस सरकार खाली पदों पर नियुक्ति नहीं निकाल रही। विद्यालय एवं महाविद्यालयों की घोषणा अवश्य कर दी गई है लेकिन भौतिक संसाधनों के साथ साथ शिक्षकों की कमी को लेकर अविभावक परेशानी में हैं वहीं बालकों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा कैसे हो रही है यह सच्चाई शिक्षक ही जानते हैं अथवा विद्यार्थी।

सरकार ने एक माह पहले ही नई नियुक्ति होने तक सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों को गेस्ट फैकल्टी पर विषय के अनुसार अस्थाई रूप से शिक्षक लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। हमेशा की तरह इस बार भी सरकार ने एनवक्त आरक्षण का हवाला देते हुए गेस्ट फैकल्टी भर्ती योजना ही निरस्त कर बेरोजगार युवकों की आशाओं पर पानी फेर दिया। केवल चाकसू तहसील के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी विषय के 12, गणित विषय के 5, हिंदी विषय के 10, शारीरिक शिक्षकों के 9, सामान्य शिक्षकों के 10 पद रिक्त चल रहे हैं। राजकीय उच्च

- **कांग्रेस सरकार खाली पदों पर नियुक्ति नहीं निकाल रही**
- **मानपुर, सांवलिया, सवाई माधोसिंह पुरा एवं स्वामी का वास स्कूल में गणित के अध्यापक ही नहीं**

माध्यमिक विद्यालय मानपुर, सांवलिया,सवाई माधोसिंह पुरा एवं स्वामी का वास में साइंस मैथ्स विषय तो है लेकिन अध्यापक ही नहीं है। इसी प्रकार गिरधारीलाल लाल पुरा, सांवलिया एवं माधोसिंह पुरा में भूगोल के व्याख्याता नहीं है। निमोडिया विद्यालय में इतिहास एवं टूमली का वास विद्यालय में अर्थशास्त्र का व्याख्याता नहीं है। आजम नगर में उर्दू अध्यापक की पोस्ट खाली चल रही है। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक का पद रिक्त पड़ा है। एक दर्जन से अधिक पद तो सामान्य शिक्षकों के ही रिक्त चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार कोटखावदा तहसील के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में लगभग 53 पद शिक्षकों के रिक्त चल रहे हैं। इस विषय को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पत्र व्यवहार करने के अलावा कुछ नहीं किया तो जनप्रतिनिधियों को जैसे इस विषय को लेकर कोई सरोकार ही नहीं है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा के अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी, जिलाध्यक्ष रामावतार शर्मा, प्रदेश प्रतिनिधि महावीर प्रसाद गुप्ता ने उपखंड के सभी विद्यालयों में खाली चल रहे पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति के लिए आदेश जारी करने की मांग की है ।

दो दर्जन दुकानों से जब्त की दो क्विंटल से अधिक पॉलीथिन

सिंघाना, (निसं)। खेतड़ी नगरपालिका व सिंघाना प्रशासनिक टीम द्वारा सोमवार को सिंघाना कस्बे के मुख्य बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ छापामार कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान दो दर्जन दुकानों पर कार्यवाही करते हुए दो क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त कर 36 हजार रुपए जूर्माना वसूल किया है। पालिका ईओ सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि पर्यावरण मंत्रालय व जिला कलेक्टर के निर्देश पर शहर में पालिका की टीम द्वारा सिंघाना बाजार में अलग-अलग दुकानों पर छापामार अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पालिका की टीमों ने करीब दो दर्जन दुकानों से दो क्विंटल सिंगल यूज़ प्लास्टिक सामग्री जब्त की । जिन दुकानों पर प्रतिबंधित पॉलीथिन पाई गई। उनका चालान कर 36 हजार रुपए की राशि वसूल की गई।

इस दौरान दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि सिंगल यूज प्लास्टिक काम

खेतड़ी नगरपालिका व सिंघाना की प्रशासनिक टीम ने पॉलीथिन जब्त करने की कार्रवाई की।

में लेते पाए जाने पर सौ रुपए से लेकर 25 हजार रूपए तक जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। ईओ वर्मा ने बताया कि अभी व्यापारियों से पॉलीथिन के प्रतिबंध को लेकर अपील की जा रही है। यदि वह जल्द ही सरकार के नियमों के अनुरूप पालना नहीं करेंगे तो अभियान में तेजी लाई जाएगी और प्रभावी रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। इस दौरान नगरपालिका की टीम ने व्यापारियों से पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने की अपील भी की। मुख्य बाजार में पॉलीथिन के खिलाफ कार्यवाही होते देख व्यापारियों मे हड़कंप मच गया। टीम में सिंघाना कार्यवाहक थानाधिकारी अजय सिंह, एएसआई धुड़सिंह, नगेंद्र कुमार, संजना मीणा, नरेश कुमार, संदीप शर्मा, सफाई निरीक्षक सुनील सैनी, फायरमैन लोकेश सिंह, अमीलाल, अनिल कुमार, गौतम चौधरी आदि शामिल थे।

106 वर्षीय राजा देवी का निधन

सुजानगढ़, (निसं)। शिव बाडी के पास रहने वाली 106 वर्षीय राजा देवी स्वामी के निधन पर उनकी अंतिम यात्रा में सैंकडों गणमान्य जनों ने शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की ।

किशोर दास स्वामी ने बताया कि शहर में शिव बाडी के पास, नयाबास निवासी राजा देवी स्वामी का 106 वर्ष की उम्र में निधन होने पर सैकडों लोगों ने बैकुंठी यात्रा निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

स्वर्गीय रणछोड दास स्वामी की धर्मपत्नी व रतनदास स्वामी और लक्ष्मणदास स्वामी की मां राजा देवी स्वामी सुजानगढ की सबसे उम्रदराज महिलाओं में शामिल थी ।

27 नवंबर की शाम उनका निधन होने के पश्चात 28 नवंबर को नयाबास स्थित उनके पौत्र पुसराज स्वामी के घर से नाथो तालाब स्थित मोक्ष धाम तक बैकुंठ यात्रा निकाली गई।

जिसमें शहर के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र से जुडे सैकडों लोग शामिल होकर शहर की सबसे वयोवृद्ध महिला राजा देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की ।

राशिफल मंगलवार 29 नवम्बर, 2022

पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीष मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठि तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2079, श्रवण नक्षत्र प्रात: 8:38 तक, धुव्र योग दिन 2:52 तक, तैतिल करण दिन 11:05 तक, चन्द्रमा सांय 7:51 से कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-वृष, बुध-वृश्चिक, गुरू-मीन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज कुमार योग और रवियोग दिन 10:29 से आरम्भ होगा। द्विपुष्कर योग दिन 11:05 से सूर्योदय तक है। राजयोग दिन 11:05 से आरम्भ होगा। आज श्री रामकलेवा, स्कन्ध षष्ठि, मित्र सप्तमी है। पंचक सांय 7:51 से आरम्भ होंगे।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:38 से 10:56 तक, लाभ-अमृत 10:56 से 1:33 तक, शुभ 2:52 से 4:10 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 7:01, सूर्यास्त 5:29

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।

वृष
घर-परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

मिथुन
आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का भय बना रहेगा।

कर्क
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

सिंह
सिंह: घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। पारिवारिक कार्यों में में व्यस्तता अभी बनी रहेगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

तुला
परिवार में आपसी अनबन, वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण मामलों में भाई-बंधुओं से सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।

मकर
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटके हुए व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कुंभ
घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में अनावश्यक धन खर्च होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। व्यक्तिगत कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।

मीन
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। शुभ-मांगलिक कार्य के लिए यात्रा संभव है।